Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the 12-Khajuwala(S.C.) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri DR VISHWANATH MEGHWAL

E 67 B KANTA KHATURIYA COLONY BIKANER

Sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: BIKANER Dated: 03-12-2023

> र्शिश्रामाना अधिकारी प्रसारतामानु अधिकारी 12 - Khajuwala (S.C.)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए,जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा |

12 - खाजूवाला (अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्री डॉ विश्वनाथ मेघवाल

ई 67 बी कांता खातूरिया कॉलोनी बीकानेर

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बीकानेर

दिनांक: 03-12-2023

(श्योराम्) (श्योराम्) रिटीमेर्ग् अधिकारी (SC) रहाजूबोल्से थेकारी (SC) 12- खोजूवाला (अजा)